राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड.,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141–2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2018/5997-6002 दिनांकः– 27.09.18

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सलेन्टस) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 4948 दिनांक 07.08.2018 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार के क्रम में उपस्थित आवेदकों में से श्री हनुमान शरण शर्मा सेवानिवृत उप सचिव विधि एवं न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का सूचीकरण कर सलाहकारी सेवाएं देने हेतु परिशिष्ट II में अंकित शर्त्तों के अनुसार तीन माह के लिये नियुक्ति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान शरण शर्मा आयोग कार्यालय में सात दिवस में स्वयं की उपस्थिति देगें व सेवा शर्त्तों के संबंध में रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेगें।

-Sd-
(राधे प्रताप सिंह)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर।
2. निजी सचिव, सूचना आयुक्त–तृतीय एवं चतुर्थ, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर।
3. श्री हनुमान शरण शर्मा, सलाहकार
4. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. सांख्यिकी अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर